// उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission

पत्रांक सं०..979... दिनांक / Date ..13..10..2017..

।। कार्यालय ज्ञाप ।।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या--03/उ0अ0से0च0आ0/2015, दिनांक-20 नवम्बर, 2015, पद कोड-07, में पदनाम--आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक के 176 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आरम्भ की गयी थी। दिनांक 6/11/2016 को इस पद के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गयी थी। दिनांक 26/3/2017 को टंकण परीक्षा आयोजित की गयी थी। दिनांक 15 व 16 जून, 2017 को आशुलेखन परीक्षा सम्पन्न हुयी। 120 अभ्यर्थियों को तीनों परीक्षाओं के उपरांत अभिलेख सत्यापन के लिए चयन कर आंमत्रित किया गया। 120 में से 114 अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन के लिए उपस्थित हुए। अभिलेख सत्यापन से पूर्व कुछ अभ्यर्थियों द्वारा यह अनुरोध प्रस्तुत किया गया कि आयोग द्वारा उनका चयन सिंचाई विभाग के लिए किया गया है, किंतु उनके पास इस विभाग के लिए अनिवार्य CCC कम्प्यूटर प्रमाण पत्र नहीं है।

इस विषय को आयोग की बैठक दिनांक 6/9/2017 में विचार हेतु रखा गया था क्योंकि 11-12 सिंतम्बर को अभिलेख सत्यापन निर्धारित किया गया था। विस्तृत विचार--विमर्श के उपरांत आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 176 में से 52 पद सिंचाई विभाग के हैं एवं अधियाचन में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा CCC कम्प्यूटर प्रमाण पत्र को अनिवार्य अर्हता बताया गया है। यह भी विचार किया गया कि सिंचाई विभाग के लिए चयनित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम, द्वितीय या तृतीय विकल्प के रूप में सिंचाई विभाग को चुना गया। कई अभ्यर्थी ऐसे है जिनका चयन सिंचाई विभाग से भिन्न विभाग के लिए हुआ हैं किंतु उन्होनें चौथे, पांचवे, या दसवें विकल्प के रूप में सिंचाई विभाग का विकल्प दिया है। इस प्रकार इन सभी अभ्यर्थियो ने CCC कम्प्यूटर प्रमाण पत्र की अर्हता पूर्ण न होने के बावजूद किसी न किसी क्रम पर सिंचाई विभाग का विकल्प चयन किया है। समानता की दृष्टि से यह उचित होगा कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन उनकी गलत घोषणा व आवेदन पत्र में गलत जानकारी देने के लिए निरस्त कर दिया जाएं। अतः जिन अभ्यर्थियों ने सिंचाई विभाग या ग्रामीण निर्माण विभाग में निर्धारित व विज्ञप्ति में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता को पूर्ण न करने के बावजूद इन दो विभागों का विकल्प भरा है उन सभी का अभ्यर्थन निरस्त किया जाएं।

उल्लेखनीय है कि अभिलेख सत्यापन में उपस्थित 114 अभ्यर्थियों में से 73 अभ्यर्थी ऐसे पाये गये है जिनके द्वारा सिंचाई विभाग व ग्रामीण निर्माण विभाग या दोनों में से एक विभाग का विकल्प भरा गया है, किंतु उनके पास CCC कम्प्यूटर प्रमाण पत्र नहीं है।

इन सभी 73 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त करने से पूर्व एक बार सुनवाई का अवसर दिया जाता है। ये अभ्यर्थी यदि इस निर्णय पर अपना कोई पक्ष या मन्तव्य रखना चाहते हैं तो आयोग को 15 दिन के भीतर अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। 29 अक्टूबर, 2017 तक प्राप्त प्रत्यावेदनों पर ही विचार किया जायेगा उसके उपरांत इस संबंध में आयोग द्वारा अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा।

सभी 73 अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। इन अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आयोग की वेबसाइट **www.sssc.uk.gov.in** पर प्रकाशित सूची के आधार पर अपना पक्ष 29 अक्टूबर, 2017 तक आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

13/10/17

(संतोष बड़ोनी)
सचिव।